

# COMBINED TITLE PAGE AND TABLE OF CONTENTS

FILE

IN THE COURT OF

S-D-M sadar Chaibasa

Case No.

01/2017

01.09.17

श्रीव २५१ २९४५

Complainant

Applicant

श्रीव २५१ २९४५

Accused

Opposite party

Section of the Indian penal Code or other law...

u/s 107 Cr.Pc

Date of the Decision of the original Court

Date of the decision of Appellate or Revisional Court

## TABLE OF CONTENTS

1	2	3	4	5	6
Serial number of paper	Sheets	Description	Value of Court-fee Stamps	Period for which to be preserved	Remarks

लौकर गुप्ता एवं प्रया  
 बराम  
 विकास गुप्ता एवं  
 प्रया 4

Schedule XIII High Court No. (I) 01 (M) 199  
FORM OF ORDER SHEET

Court of the sub-Divisional Magistrate,  
 Sadar Chaibasa

Misc. Case No. 01/2017  
 U/S 107/113/116 (III) Cr.P.C.

Date of Order	Order with the Signature of the Court	Office action
03.01.2017	<p>Perused the Police report a S.I of Police <u>सबर धारा चाइबासा</u> Police Station/petition of the petitions/S.D.O/C.O <u>सबर धारा चाइबासा</u> <u>अप्रामाणिकी सं - 27/16</u> for taking action U/s 107/113/116 (III) Cr. P.C. against the member of the <u>Both</u> Parties whereas on perusal of the Police report, I feel satisfaction that there exists serious apprehension of breach of the peace at the instant of the member of <u>Both</u> party due to <u>दुकान खाली करने के विवाद को लेकर मारपीट की खया के कारण</u> and that prevention of which urgently required. I in exercise of my power u/s 107 Cr.P.C. do hereby call upon the member of <u>Both</u> parties to appear before me on <u>20.01.2017</u> and like their show cause and to why should not be ordered to execute bound of 5,000/- with securities of the like amount each to keep peace for a period of one year.</p>	<p>10/2/10  <u>03.01.2017</u></p>

03/01/17  
 Subdivisional magistrate  
 Sadar chaibasa

20.01.17

अगिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिस का मामिला प्रमाण है। प्रथम पक्ष के दोनो सदस्य ① दीपक कुमार ② मोहर कुमार वकालतगामा के साथ उपस्थित है एवं उनके द्वारा S/C दाखिल करने हेतु समग्र की मांग की गई है। द्वितीय पक्ष के सदस्य अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य उपस्थित है।

श्री ० वकील कर्तव्य हेतु  
वकालतगामा की मांग को स्वीकार हेतु १७/१/१७  
की दिनांकी वाली वर दिनांक 17.02.17  
को मजिस्ट्रेट की प्वादी है

  
17/02/17

17.02.17

अगिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के दोनो सदस्यों के द्वारा S/C दाखिल करने हेतु समग्र की मांग की गई है। द्वितीय पक्ष के चार सदस्य उपस्थित है एवं उनके द्वारा S/C हेतु समग्र की मांग की गई है।


दिनांकी निधि दिनांक 10.03.17  
को मजिस्ट्रेट की प्वादी है

  
17/02/17

10.03.17

अगिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व एवं S/C हेतु समग्र की मांग की गई है। बाद में द्वितीय पक्ष के चार सदस्यों के द्वारा हाजिरी प्रस्तुत किया गया है।

दिनांकी निधि दिनांक 25.03.17  
को मजिस्ट्रेट की प्वादी है।

  
10/03/17

1.03.17

प्रभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के दोनो सदस्य उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के दो सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित सदस्य की धोर से प्रतिनिधित्व हेतु श्रावण की गई है। पीठासीन पदाधिकारी श्रावण कार्य में भाग्य है।  
प्रभिलेख दिनांक 11.04.17 को रखा।

अनु 0605A

11.04.17

प्रभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के चार सदस्य उपस्थित है। उभय पक्ष के अनुपस्थित सदस्य की धोर से प्रतिनिधित्व हेतु श्रावण प्रस्तुत किया गया है। पीठासीन पदाधिकारी श्रावण कार्य में भाग्य है।  
प्रभिलेख दिनांक 02.05.17 को रखा।

अनु 0205B

02.05.17

प्रभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के दोनो सदस्य उपस्थित है एवं उनके द्वारा डी/सी दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित सदस्य की धोर से प्रतिनिधित्व एवं डी/सी दाखिल करने हेतु श्रावण की मांग की गई है।

किंगली लिमिटेड दिनांक 23.05.17 को मिलीगन की जाती है।

अनु 05112

03.05.17

प्रभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के दोनो सदस्य उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित सदस्य की धोर से प्रतिनिधित्व हेतु श्रावण की गई है।  
प्रभिलेख दिनांक 09.06.17 को रखा।

अनु 0605A

3.08.17 अगिलेच उपस्थापित। प्रथम पक्ष के दोन सदस्य उपस्थित  
 है। द्वितीय पक्ष के चार सदस्य उपस्थित है एवं एक  
 अनुपस्थित सदस्य के संबंध में Custody में होने के  
 कारण production warrant जारी करके जासुरी  
 किया गया है। प्रौद्योगिकी पदाधिकारी अथवा कार्य में व्यस्त है।  
 अगिलेच दिनांक 11.07.17 को रखा।

अनु 203A

11.07.17 अगिलेच उपस्थापित। प्रथम पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों  
 की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन न गेह है।  
 द्वितीय पक्ष के तीन सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित  
 सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन न गेह है।

अगली तिथि दिनांक 01.08.17

रिपोर्ट नही आती है

01-08-17 अगिलेच उपस्थापित। प्रथम पक्ष के दोन सदस्य के द्वारा  
 दृष्टि प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष के एक सदस्य  
 उपस्थित है एवं अनुपस्थित सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व  
 हेतु आवेदन न गेह है। प्रौद्योगिकी पदाधिकारी अथवा कार्य  
 में व्यस्त है।  
 अगिलेच दिनांक 01-09-17 को रखा।

अनु 203A

01-09-17 अगिलेच उपस्थापित। प्रथम पक्ष के दोन सदस्य उपस्थित  
 है। द्वितीय पक्ष के दो सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित  
 सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन न गेह है।  
 अक्त वाद की समझावधि 6 माह पूर्व में ही  
 समाप्त हो चुकी है। अक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती  
 है।

01/09/17